निर्देश संख्या **03/2019**-सीमा शुल्क

फा.सं.**603/18/2018**-डीबीके

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

प्रतिअदायगी प्रभाग

*****

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सेवा में,

(सीबीआईसी के अंतर्गत आने वालें)

सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक)/सीमा शुल्क और

केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

महोदया/महोदय,

विषयः - निर्यातित माल के पुनः आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के अध्याय तीन के अंतर्गत प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं के तहत दिए गए लाभ की वसूली।

अधिसूचना संख्या 94/1996-सीमाशुल्क, दिनांक 16.12.1996, अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क, अधिसूचना सं. 46/2017-सीमाशुल्क और अधिसूचना सं. 47/2017-सीमाशुल्क सभी का दिनांक 30.06.2017, जो कि भारत से निर्यातित माल के पुनः आयात के बारे में है, पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस बारे में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने निर्यातित माल के पुनः आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के अध्याय तीन के अंतर्गत आने वाले प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं के तहत दिए गए लाभ की वसूली से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया है। अपने अध्ययन में लेखा परीक्षा ने अन्य बातों के अलावा इस बात पर ध्यान दिलाया है कि इन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिससे कि विदेश व्यापार नीति के अध्याय तीन के अंतर्गत आने वाली पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत दिए गए डयूटी क्रेडिट की उस समय वसूली की जा सके जब उस माल का पुनः निर्यात किया जा रहा हो जिसके निर्यात के समय ऐसा लाभ प्राप्त किया गया हो।

2. इस विषय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी, जो कि विदेश व्यापार नीति के अध्याय तीन के अंतर्गत इन पुरस्कारों को प्रदान करता है, के साथ परामर्श करके विचार किया गया है डीजीएफटी ने यह बताया है कि RBI/2006-2007/313 ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.37 दिनांक 05 अप्रैल, 2007 के तहत जारी निर्यात एवं आयात आरबीआई मास्टर डायरेकशन में पहले से ही एक ऐसा प्रावधान है जो कि ऐसे पुनः आयात से संबंधित डीजीएफटी से लिए गए प्रोत्साहन के रिफंड के बारे में है। डीजीएफटी ने यह भी बताया कि एफटीपी 2015-20 के तहत जारी की गई हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स के पैरा 3.24 के अनुसार, पुनः आयात के ऐसे मामलों के बारे में डीजीएफटी के रीजनल अथॉरिटी (आरए) से 'नो-इंसेंटिव सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

3. अतः यह आयातकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह निर्यातित माल के पुनः आयात के समय डीजीएफटी के आरए से प्राप्त नो इंसेंटिव सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे । तदनुसार यह बात पुनः कही जाती है कि निर्यातित माल के पुनःआयात के मामले में क्लीरियेंस जारी करने के पहले सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की डीजीएफटी के संबंधित आरए से एक 'नो-इंसेंटिव सर्टिफिकेट' प्राप्त कर लिया गया है।

4. इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्यातित माल के पुनः आयात के पिछले मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और डीजीएफटी अधिकारियों के साथ समन्वय रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे कि अनुचित रूप से लिए गए ड्यूटी क्रेडिट की वसूली की जा सके । इसके अनुपालन की एक रिपोर्ट दिनांक 30.09.2019 तक प्रतिअदायगी प्रभाग को भेज दी जाए।

5. ये निर्देश उपयुक्त स्थायी आदेश और व्यापार सूचना जारी करके सभी संबंधित कार्यालयों के ध्यान में लाया जा सकता है। उक्त के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

आपका आभारी

(श्याम लाल)
तकनीकी अधिकारी (प्रतिअदायगी)